न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 147 / 2018

बनाम

अपीलार्थी

श्री अमित कुमार शर्मा
निवासी—फ्लैट—एम, सागर अपार्टमेंट
6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली—110001

प्रत्यर्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 26.07.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 16.08.2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांक: 04.05.18 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर 07 बिन्दुओं पर विविध सूचनाओं की वांछा की गई थी।
5. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 04.05.18 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर पत्रांक: आर.टी.आई. / 18 / 1638—39 दिनांक: 08.08.2018 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में वर्णित तथ्य एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 04.05.18 पर प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् विनिश्चय कर इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को प्रति प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।
9. विलम्ब से प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय किये जाने के कारण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
10. उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला—अलवर को इस माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदकों द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर अविलम्ब विनिश्चय कर सूचित करें।
11. उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपील / प्रथम आवेदन के बिन्दु सं. 01 में वांछित "श्री विजयसिंह मीना द्वारा वर्ष 2004 में माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. लक्ष्मणगढ की जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर को की गई शिकायत की प्रति" संबंधित न्यायालय में उक्त अधिनियम अंतर्गत पृथक से नियमानुसार प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करे।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. निर्णय घोषित ।

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)